

2025/201432

कार्यज

फर्द अहकाम
(नियम 15)

9.7.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
सिलोचना बनाम रोहिताश आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 21/2 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.06.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 17.07.2025 को पेश हो।	
9.7.2025	<p>वकील वादी ने पत्रावली पत्र मिशाल पेकी पेश करे पर पत्रावली को पेकी ने लिफा 01का वकील वादी के सिविल डिमा डि वादी क्यूरी वरी का शर्तीनामा होनके काल वाद पत्र भोगे नही चलाना चाहेते है। मौजूदा सिविल में कार्यज करवाना चाहेते है। इतल वाद पत्र मौजूदा सिविल में कार्यज क्रिया जाए है। पत्रावली नम्बर से कलकी- जाकर कल तकीर तकीर जाए दालिब दखल हो।</p> <p style="text-align: center;">०.</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>	<p>सिलोचना</p> <p>95km</p> <p>३</p>

